भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 924

उत्तर देने की तारीख : 14.12.2022

अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए आवंटित धन का अल्प उपयोग

924. श्री नीरज डांगी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त अवधि के दौरान आवंटित बजट का संपूर्ण उपयोग नहीं किया गया हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आवंटित बजट का संपूर्ण उपयोग नहीं करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु आवंटित बजट का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु आवंटित बजट	
		बी.ई.	आर.ई.
1	2017-18	52603.33	52340.72
2	2018-19	56618.50	62473.86
3	2019-20	81340.74	72936.29
4	2020-21	83256.62	82707.51

अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) के अंतर्गत आवंटित बजट का ब्यौरा बजट दस्तावेजों के विवरण 10क में उपलब्ध है।

(ख): जी, नहीं। वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत बाध्यकारी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को मंजूर तथा उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	सभी मंत्रालयों/विभागों की एससीएसपी		डीएपीएससी का वास्तविक व्यय	आर.ई के संबंध में वास्तविक व्यय का प्रतिशत
		बी.ई	आर.ई.		
1	2017-18	52603.33	52340.72	47017.19	89.83
2	2018-19	56618.50	62473.86	55073.17	88.15
3	2019-20	81340.74	72936.29	70645.21	96.86
4	2020-21	83256.62	82707.51	74666.5151	90.28

जैसा कि ऊपर दिए गए प्रत्येक वर्ष के व्यय के उपयोग विवरण से देखा जा सकता है कि यह आवंटित निधियों के 90% तक है अत: यह माना जा सकता है कि निधियों का अधिकतम उपयोग हुआ है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****